



मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 462003 (म.प्र.) भारत

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal 462003(M.P.) India

(An Institution of National Importance, under Ministry of Education, Govt. of India)

मकान किराया भत्ता के लिए आवेदन पत्र		कर्मचारी कोड	
कर्मचारी का नाम		पद	
वर्तमान आवास का पता		विभाग	
		वेतन स्तर	
		मूल वेतन	

आवेदक के नाम पर आवंटित केंद्र/राज्य सरकार या अर्धशासकीय आवास का विवरण (अगर हो तो कृपया विवरण दें)	आवेदक के पति/पत्नी के नाम पर आवंटित केंद्र/राज्य सरकार या अर्धशासकीय आवास का विवरण (अगर हो तो कृपया विवरण दें)
आवास का प्रकार	आवास का प्रकार
आवास क्र.	आवास क्र.
स्थान/मोहल्ला	स्थान/मोहल्ला
मासिक किराया	मासिक किराया

कर्मचारी द्वारा प्रमाणीकरण			
1	मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे कोई भी सरकारी स्वामित्व वाला या किराए का आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके लिए भत्ते का दावा किया गया है।		
2	मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पति या पत्नी को केंद्र/राज्य सरकारी/ अर्ध-सरकारी प्राधिकारियों द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित नहीं किया गया है।		
3	मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं अपने माता-पिता या बच्चे के लिए केंद्र/राज्य सरकार/अर्ध-सरकारी प्राधिकारियों द्वारा आवंटित सरकारी किराये या स्वामित्व वाले आवास को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ साझा नहीं कर रहा हूँ एवं निःशुल्क रूप में भी आवंटित नहीं कर रहा हूँ।		
4	मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता, जो मेरे साथ सरकारी स्वामित्व वाले किराए के आवास को साझा कर रहे हैं, उन्हे केंद्र/राज्य सरकार/किसी अर्ध-सरकारी प्राधिकारियों के द्वारा कोई अन्य आवास आवंटित नहीं किया गया है।		
दिनांक		आवेदक के हस्ताक्षर	

भवन/संपदा अनुभाग के उपयोग के लिए (आवंटन/रिक्त स्थिति)		स्थापना अनुभाग के उपयोग के लिए		
आवास का प्रकार		➤ आवेदक प्रभावी रूप से मकान किराया भत्ता अनुदान के लिए से पात्र है		
आवास क्र.				
अधिग्रहण की तारीख				
बकाया की स्थिति, यदि कोई हो				
द्वारा जांचा गया	सहायक कुलसचिव (संपदा)	द्वारा जांचा गया	द्वारा सत्यापित	सहा/उप-कुलसचिव

कुलसचिव	निदेशक

टिप्पणी:	
1	प्रारूप में सभी अपेक्षित जानकारी भरना अनिवार्य है।
2	मकान किराया भत्ता अपने पति/पत्नी/बच्चों/पिता/माता के स्वामित्व वाले घर में रहने वाले कर्मचारी के लिए स्वीकार्य है। यह भी स्वीकार्य है यदि उसके पास अपना घर है लेकिन वह किराए के घर में रहता है।
3	यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया-मुक्त आवास साझा करता है तो मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है।
4	यदि कर्मचारी अपने माता-पिता, बेटे, बेटी, को केंद्र/राज्य सरकार/किसी अर्ध-सरकारी प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवास में रहता है तो मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है।
5	यदि पति/पत्नी को केंद्र/राज्य सरकार/किसी अर्ध-सरकारी प्राधिकरण द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है तो मकान किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है।